

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 599]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 17 दिसम्बर 2014—अग्रहायण 26, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2014

क्र. 7281-331-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 17 दिसम्बर 2014 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १९ सन् २०१४

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-७) अधिनियम, २०१४

[दिनांक १७ दिसम्बर, २०१४ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १७ दिसम्बर, २०१४ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

वित्तीय वर्ष २०१४-२०१५ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-७) अधिनियम, २०१४ है.

वित्तीय वर्ष २०१४-१५ के लिये राज्य की संचित निधि में से ८६,५१,६८,३२,००० रु. का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के स्तम्भ (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रु. आठ हजार छः सौ इक्कावन करोड़ अड़सठ लाख बत्तीस हजार होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के स्तम्भ (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत वित्तीय वर्ष २०१४-२०१५ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची
(धारा २ और ३ देखिये)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां			
		विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारत	योग	
		रुपये	रुपये	रुपये	
	भारत विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राजस्व	०	३,७९,१६,८९,०००	३,७९,१६,८९,०००
०१.	सामान्य प्रशासन एवं लोक सेवा प्रबंधन	राजस्व	५७,७२,०५,२००	८,८७,९५,०००	६६,६०,००,२००
०२.	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	२५,००,०००	०	२५,००,०००
०३.	पुलिस	राजस्व	३५,३६,४४,५००	४०,००,०००	३५,७६,४४,५००
		पूंजी	१००	०	१००
०४.	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	२४,००,०००	०	२४,००,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
०५.	जेल	राजस्व	४,८०,११,१००	०	४,८०,११,१००
०६.	वित्त	राजस्व	५७,५०,०००	०	५७,५०,०००
		पूंजी	३,००,००,००,०००	०	३,००,००,००,०००
०७.	वाणिज्यिक कर	राजस्व	७,५०,०००	०	७,५०,०००
		पूंजी	७,९०,०००	०	७,९०,०००
०८.	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	९,७९,६३,५००	०	९,७९,६३,५००
०९.	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	५०,००,०००	०	५०,००,०००
१०.	वन	राजस्व	२६,०९,५९,२००	०	२६,०९,५९,२००
११.	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	राजस्व	१,४५,२५,००,१००	२२,२०,०००	१,४५,४७,२०,१००
१२.	ऊर्जा	राजस्व	१२,२०,००,००,०००	०	१२,२०,००,००,०००
		पूंजी	२६,५०,००,००,०००	०	२६,५०,००,००,०००
१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व	६०,६२,५०,०००	०	६०,६२,५०,०००
		पूंजी	२५,००,००,०००	०	२५,००,००,०००
१४.	पशुपालन	राजस्व	२९,२९,१६,०००	१,००,०००	२९,३०,१६,०००
१५.	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	१,३०,००,०००	०	१,३०,००,०००
१७.	सहकारिता	राजस्व	८,६५,०००	०	८,६५,०००
		पूंजी	४९,०७,००,०००	०	४९,०७,००,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
१८.	श्रम			
	राजस्व	७६,४८,०००	०	७६,४८,०००
१९.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण			
	राजस्व	१००	०	१००
	पूंजी	२९,४५,००,१००	०	२९,४५,००,१००
२०.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी			
	राजस्व	१०,००,०००	०	१०,००,०००
२१.	आवास एवं पर्यावरण			
	राजस्व	९,१०,००,०००	०	९,१०,००,०००
	पूंजी	५,००,००,०००	०	५,००,००,०००
२३.	जल संसाधन			
	राजस्व	१,६०,००,०००	०	१,६०,००,०००
	पूंजी	३,३२,००,००,१००	०	३,३२,००,००,१००
२४.	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल			
	राजस्व	१,७४,००,००,१००	०	१,७४,००,००,१००
	पूंजी	२,४०,००,००,९००	०	२,४०,००,००,९००
२५.	खनिज साधन			
	राजस्व	१,३०,००,१००	२,४८,२९,००,०००	२,४९,५९,००,१००
२६.	संस्कृति			
	राजस्व	५१,८३,५०,०००	०	५१,८३,५०,०००
२७.	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)			
	पूंजी	५३,२५,००,०००	०	५३,२५,००,०००
२८.	राज्य विधान मंडल			
	राजस्व	१,९०,०००	०	१,९०,०००
२९.	विधि और विधायी कार्य			
	राजस्व	२३,६२,४८,०००	५,७०,६१,०००	२९,३३,०९,०००
३०.	ग्रामीण विकास			
	राजस्व	१८,८८,७३,०००	०	१८,८८,७३,०००
३१.	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी			
	राजस्व	७,२८,४४,९००	०	७,२८,४४,९००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
३२.	जनसंपर्क	राजस्व	११,४८,००,०००	०	११,४८,००,०००
३३.	आदिम जाति कल्याण	राजस्व	१,५०,१००	०	१,५०,१००
३४.	सामाजिक न्याय	राजस्व	७१,२३,०००	०	७१,२३,०००
३७.	पर्यटन	पूंजी	५२,००,००,०००	०	५२,००,००,०००
३९.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	राजस्व	३,२२,१०,१९,०००	०	३,२२,१०,१९,०००
		पूंजी	१,००,७४,१४,०००	०	१,००,७४,१४,०००
४०.	जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट	राजस्व	३०,००,०००	०	३०,००,०००
		पूंजी	१७,७०,००,०००	०	१७,७०,००,०००
४१.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	राजस्व	७९,३२,२८,४००	०	७९,३२,२८,४००
		पूंजी	२२,८८,७५,१००	०	२२,८८,७५,१००
४२.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	पूंजी	१,७०,००,००,१००	०	१,७०,००,००,१००
४३.	खेल और युवक कल्याण	राजस्व	१,००,००,१००	०	१,००,००,१००
४४.	उच्च शिक्षा	राजस्व	३१,१४,००,०००	०	३१,१४,००,०००
४५.	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	पूंजी	२,७०,००,००,०००	०	२,७०,००,००,०००

(१)	(२)	(३)	
		रुपये	रुपये
४७. तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	राजस्व	३५,७८,५०,०००	०
	पूँजी	२५,२६,२५,०००	०
४८. नर्मदा घाटी विकास	राजस्व	२७,००,०००	०
	पूँजी	१,४६,००,१००	०
४९. अनुसूचित जाति कल्याण एवं विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण	राजस्व	२,५७,०००	०
५१. धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राजस्व	६,१०,००,०००	०
५२. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	८०,७८,३५,०००	०
५४. कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	राजस्व	५०,००,०००	०
५५. महिला एवं बाल विकास	राजस्व	३८,४०,६८,०००	०
	पूँजी	१३,५२,००,०००	०
५६. ग्रामोद्योग	राजस्व	१,००,००,३००	०
५८. प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	राजस्व	८८,१४,५०,२००	०

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
५९.	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं			
	राजस्व	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
६०.	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय			
	पूंजी	५,२७,२०,८००	०	५,२७,२०,८००
६२.	पंचायत			
	राजस्व	३,००,०००	०	३,००,०००
६३.	अल्पसंख्यक कल्याण			
	राजस्व	१४,५०,०००	०	१४,५०,०००
६४.	अनुसूचित जाति उपयोजना			
	राजस्व	८०,८७,४६,७००	०	८०,८७,४६,७००
	पूंजी	१,१५,७६,४०,८००	०	१,१५,७६,४०,८००
६६.	पिछड़ा वर्ग कल्याण			
	राजस्व	६,२५,००,१००	०	६,२५,००,१००
	पूंजी	७,११,००,०००	०	७,११,००,०००
६७.	लोक निर्माण कार्य-भवन			
	राजस्व	६१,५८,८०,०००	०	६१,५८,८०,०००
	पूंजी	१६,३०,५८,९००	०	१६,३०,५८,९००
७२.	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास			
	राजस्व	८३,८०,१००	०	८३,८०,१००
७३.	चिकित्सा शिक्षा			
	राजस्व	२३,१३,७५,०००	०	२३,१३,७५,०००
७४.	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता			
	राजस्व	५,३२,९६,३९,१००	०	५,३२,९६,३९,१००
७६.	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा			
	राजस्व	१,००,०००	०	१,००,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
७७. स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	राजस्व	१३,७२,२०,१००	०	१३,७२,२०,१००
७८. सिंहस्थ २०१६ से संबंधित व्यय	राजस्व	२,००,००,००,०००	०	२,००,००,००,०००
योग :	राजस्व	३५,०७,१३,४१,०००	६,४२,६७,६५,०००	४१,४९,८१,०६,०००
	पूंजी	४५,०१,८७,२६,०००	०	४५,०१,८७,२६,०००
वृहद योग :		८०,०९,००,६७,०००	६,४२,६७,६५,०००	८६,५१,६८,३२,०००

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2014

क्र. 7282-331-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-7) अधिनियम, 2014 (क्रमांक 19 सन् 2014) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 19 OF 2014

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION (No. 7) ACT, 2014.

[Received the assent of the Governor on the 17th December, 2014 assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 17th December, 2014.]

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of the Financial Year 2014-2015.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-Fifth year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation (No. 7) Act, 2014.

Issue of Rs. 86,51,68,32,000 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2014-2015.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of Eight Thousand Six Hundred Fifty One Crore Sixty Eight Lakhs Thirty Two Thousand rupees towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the Financial Year 2014-2015 in respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE

(See Sections 2 and 3)

(1) No. of Vote	(2) Services and purposes	(3) Sums not exceeding			
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total	
		Rs.	Rs.	Rs.	
..	Charged Appropriation-Interest Payments and Servicing of Debt.	Revenue	0	3,79,16,89,000	3,79,16,89,000
01.	General Administration & Lok Seva Prabandhan	Revenue	57,72,05,200	8,87,95,000	66,60,00,200
02.	Other expenditure pertaining to General Administration Department	Revenue	25,00,000	0	25,00,000
03.	Police	Revenue Capital	35,36,44,500 100	40,00,000 0	35,76,44,500 100
04.	Other expenditure pertaining to Home Department	Revenue	24,00,000	0	24,00,000
05.	Jail	Revenue	4,80,11,100	0	4,80,11,100
06.	Finance	Revenue Capital	57,50,000 3,00,00,00,000	0 0	57,50,000 3,00,00,00,000
07.	Commercial Tax	Revenue Capital	7,50,000 7,90,000	0 0	7,50,000 7,90,000
08.	Land Revenue and District Administration	Revenue	9,79,63,500	0	9,79,63,500
09.	Expenditure pertaining to Revenue Department	Revenue	50,00,000	0	50,00,000
10.	Forest	Revenue	26,09,59,200	0	26,09,59,200
11.	Commerce, Industry and Employment	Revenue	1,45,25,00,100	22,20,000	1,45,47,20,100

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
12.	Energy	Revenue	12,20,00,00,000	0	12,20,00,00,000
		Capital	26,50,00,00,000	0	26,50,00,00,000
13.	Formers Welfare and Agriculture Development	Revenue	60,62,50,000	0	60,62,50,000
		Capital	25,00,00,000	0	25,00,00,000
14.	Animal Husbandry	Revenue	29,29,16,000	1,00,000	29,30,16,000
15.	Financial assistance to Three Tier Panchayati Raj Institutions under Schedule Castes Sub-Plan	Revenue	1,30,00,000	0	1,30,00,000
17.	Co-operation	Revenue	8,65,000	0	8,65,000
		Capital	49,07,00,000	0	49,07,00,000
18.	Labour	Revenue	76,48,000	0	76,48,000
19.	Public Health and Family Welfare	Revenue	100	0	100
		Capital	29,45,00,100	0	29,45,00,100
20.	Public Health Engineering	Revenue	10,00,000	0	10,00,000
21.	Housing and Environment	Revenue	9,10,00,000	0	9,10,00,000
		Capital	5,00,00,000	0	5,00,00,000
23.	Water Resources Department	Revenue	1,60,00,000	0	1,60,00,000
		Capital	3,32,00,00,100	0	3,32,00,00,100
24.	Public Works—Roads and Bridges	Revenue	1,74,00,00,100	0	1,74,00,00,100
		Capital	2,40,00,00,900	0	2,40,00,00,900
25.	Mineral Resources	Revenue	1,30,00,100	2,48,29,00,000	2,49,59,00,100
26.	Culture	Revenue	51,83,50,000	0	51,83,50,000
27.	School Education (Primary Education)	Capital	53,25,00,000	0	53,25,00,000

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
28.	State Legislature	Revenue	1,90,000	0	1,90,000
29.	Law and Legislative Affairs	Revenue	23,62,48,000	5,70,61,000	29,33,09,000
30.	Rural Development	Revenue	18,88,73,000	0	18,88,73,000
31.	Planning Economics and Statistics	Revenue	7,28,44,900	0	7,28,44,900
32.	Public Relations	Revenue	11,48,00,000	0	11,48,00,000
33.	Tribal Welfare	Revenue	1,50,100	0	1,50,100
34.	Social Justice	Revenue	71,23,000	0	71,23,000
37.	Tourism	Capital	52,00,00,000	0	52,00,00,000
39.	Food, Civil Supplies and Consumer Protection	Revenue	3,22,10,19,000	0	3,22,10,19,000
		Capital	1,00,74,14,000	0	1,00,74,14,000
40.	Expenditure pertaining to Water Resources Department Command Area Development	Revenue	30,00,000	0	30,00,000
		Capital	17,70,00,000	0	17,70,00,000
41.	Tribal Areas Sub-Plan	Revenue	79,32,28,400	0	79,32,28,400
		Capital	22,88,75,100	0	22,88,75,100
42.	Public Works relating to Tribal Areas Sub-Plan- Roads and Bridges	Capital	1,70,00,00,100	0	1,70,00,00,100
43.	Sports and Youth Welfare	Revenue	1,00,00,100	0	1,00,00,100
44.	Higher Education	Revenue	31,14,00,000	0	31,14,00,000

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
45.	Minor Irrigation Works	Capital	2,70,00,00,000	0	2,70,00,00,000
47.	Technical Education and Skill Development	Revenue	35,78,50,000	0	35,78,50,000
		Capital	25,26,25,000	0	25,26,25,000
48.	Narmada Valley Development	Revenue	27,00,000	0	27,00,000
		Capital	1,46,00,100	0	1,46,00,100
49.	Scheduled Caste Welfare & Vimukta Ghumakkad evam Ardha Ghumakkad caste Welfare	Revenue	2,57,000	0	2,57,000
51.	Religious Trusts and Endowments	Revenue	6,10,00,000	0	6,10,00,000
52.	Financial Assistance to Tribal Area Sub-plan-Three Tier Panchayati Raj Institutions	Revenue	80,78,35,000	0	80,78,35,000
54.	Agricultural Research and Education	Revenue	50,00,000	0	50,00,000
55.	Women and Child Development	Revenue	38,40,68,000	0	38,40,68,000
		Capital	13,52,00,000	0	13,52,00,000
56.	Rural Industry	Revenue	1,00,00,300	0	1,00,00,300
58.	Expenditure on Relief on Account of Natural Calamities and Scarcity	Revenue	88,14,50,200	0	88,14,50,200
59.	Externally aided Projects Pertaining to Rural Development Department	Revenue	10,00,00,000	0	10,00,00,000
60.	Expenditure pertaining to District Plan Schemes	Capital	5,27,20,800	0	5,27,20,800
62.	Panchayat	Revenue	3,00,000	0	3,00,000

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
63.	Minority Welfare	Revenue	14,50,000	0	14,50,000
64.	Scheduled Castes Sub-Plan	Revenue	80,87,46,700	0	80,87,46,700
		Capital	1,15,76,40,800	0	1,15,76,40,800
66.	Welfare of Backward Classes	Revenue	6,25,00,100	0	6,25,00,100
		Capital	7,11,00,000	0	7,11,00,000
67.	Public Works-Buildings	Revenue	61,58,80,000	0	61,58,80,000
		Capital	16,30,58,900	0	16,30,58,900
72.	Bhopal Gas Tragedy Relief and Rehabilitation	Revenue	83,80,100	0	83,80,100
73.	Medical Education Department	Revenue	23,13,75,000	0	23,13,75,000
74.	Financial Assistance to Three Tier Panchayati Raj Institutions	Revenue	5,32,96,39,100	0	5,32,96,39,100
76.	New and Renewable Energy Sources	Revenue	1,00,000	0	1,00,000
77.	Other Expenditure pertaining to School Education Department (excluding Primary Education)	Revenue	13,72,20,100	0	13,72,20,100
78.	Expenditure pertaining to Shimhast, 2016	Revenue	2,00,00,00,000	0	2,00,00,00,000
	Total ..	Revenue ..	35,07,13,41,000	6,42,67,65,000	41,49,81,06,000
		Capital ..	45,01,87,26,000	0	45,01,87,26,000
	Grand Total ..		80,09,00,67,000	6,42,67,65,000	86,51,68,32,000